संख्या: 90/2016/1438/छप्पन-16-10(3)/2004

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 09 नवम्बर, 2016

विषय: जनपद लखनऊ में लखनऊ एयरपोर्ट के रनवे विस्तार से बंगला बाजार से बिजनौर पथान्तर योजना हेतु अर्जित भूमि ग्राम औरंगाबाद जागीर व गुडौरा, परगना तहसील व जिला लखनऊ के प्रकीर्ण वाद संख्या-25/2002, श्रीमती षान्ती पुत्री साधूराम व श्रीमती सन्तोश कुमारी बनाम उ0प्र0 सरकार में पीठासीन अधिकारी, नगर महापालिका न्यायाधिकरण द्वारा किये गये निर्णय के अनुसार अन्य भूस्वामियों द्वारा धारा-28 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों के सम्बन्ध में प्रतिकर की धनराशि का भुगतान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-320-21/ना0उ0नि0/2016, दिनांक 24.08.2016 के साथ संलग्न अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) संयुक्त संगठन, लखनऊ के पत्र संख्या-841/आठ/अ0जि0अ0(भू0अ0)सं0सं0, दिनांक 12.08.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस आलोक में उल्लेख किया गया है कि जनपद लखनऊ में लखनऊ एयरपोर्ट के रनवे विस्तार से बंगला बाजार से बिजनौर पथान्तर योजना हेतु अर्जित भूमि ग्राम औरंगाबाद जागीर व गुडौरा, परगना तहसील व जिला लखनऊ के प्रकीर्ण वाद संख्या-25/2002, श्रीमती शान्ती पुत्री साधूराम व श्रीमती सन्तोष कुमारी बनाम उ0प्र0 सरकार में पीठासीन अधिकारी, नगर महापालिका न्यायाधिकरण द्वारा किये गये निर्णय के अनुसार अन्य भूस्वामियों द्वारा धारा-28 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों के सम्बन्ध में ग्राम औरंगाबाद जागीर के राकेश महाना पुत्र स्व0 अर्जुन देव व सोहन लाल, मोहन लाल, सजीवन लाल पुत्रगण चन्द्रिका के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-28ए का निस्तारण किया जाना है। गणना के अनुसार रूपये 44,86,741/- (रूपये चौवालीस लाख छियासी हजार सात सौ इक्तालिस मात्र) की आवश्यकता बतायी गयी है और उक्त आगणन में ब्याज की गणना दिनांक 31 अगस्त, 2016 तक की गयी है। यह भी कहा गया है कि ब्याज की धनराशि दिनोंदिन बढ़ रही है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल प्रकीर्ण वाद संख्या-25/2002, श्रीमती शान्ती पुत्री साधूराम व श्रीमती सन्तोष कुमारी बनाम उ0प्र0 सरकार में पीठासीन अधिकारी, नगर महापालिका न्यायाधिकरण द्वारा किये गये निर्णय के अनुसार

---2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ग्राम औरंगाबाद जागीर के अन्य भूस्वामियों राकेश महाना पुत्र स्व0 अर्जुन देव व सोहन लाल, मोहन लाल, सजीवन लाल पुत्रगण चन्द्रिका द्वारा धारा-28ए के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों के सम्बन्ध में प्रतिकर की धनराशि का भुगतान किये जाने हेतु रूपये 44,86,741/- (रूपये चौवालीस लाख छियासी हजार सात सौ इक्तालिस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

4- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त धनराशि निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 द्वारा आहरित कर जिलाधिकारी, लखनऊ के निवर्तन पर रखी जायेगी तथा जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा ग्राम औरंगाबाद, परगना तहसील व जिला लखनऊ के उक्त भू-स्वामियों को प्रतिकर की धनराशि का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से किया जायेगा।

5- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-38 के अधीन लेखा शीर्षक "5053-नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24-वृहत्त निर्माण कार्य" से वहन की जायेगी।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.3.2016 में दिये गये प्राधिकार के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

संख्या: 90/2016/1438(1)/छप्पन-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एक आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- जिलाधिकारी, लखनऊ।
4- अपर-जिलाधिकारी, (भूमि अध्याप्ति) सं0सं0, लखनऊ।
5- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
7- न्याय अनुभाग-6
8- समीक्षा अधिकारी (बजट), नागरिक उड्डयन अनुभाग, उ0प्र0, सचिवालय।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in